

कथन — मनीष केडिया

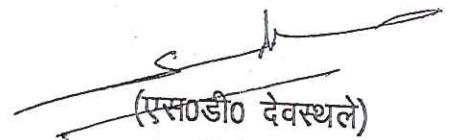
थाना	- राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	- 09/2015
धारा	- 13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	- मनीष केडिया पिता श्री बनवारी लाल केडिया
उम्र	- 40 वर्ष
पता	- मेन रोड पीपल चौक के पास, बिल्हा, तह. बिल्हा बिलासपुर एवं सी-28 विद्या नगर, बिलासपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	- 94252-22661
व्यवसाय	- संचालक, श्री ओम ऑईल एक्सट्रेक्शन लिमिटेड, सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

—00—

मैं मनीष केडिया पूछे जाने पर बता रहा हूँ कि मैं श्री ओम ऑईल एक्सट्रेक्शन लिमिटेड, सिरगिट्टी राईस मिल का संचालक हूँ। मार्कफेड से धान लेकर उसका चावल बनाकर नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में दिया जाता है। बिलासपुर में नागरिक आपूर्ति निगम का 03 गोदाम है। मेरी मिल की क्षमता 03 क्विंटल प्रति घंटा है। इस मिल को मैं संतोष अग्रवाल एवं सजन अग्रवाल से 02 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से नवम्बर 2013 से किराये में लेकर चला रहा हूँ। मेरा स्वयं का अक्षय एग्रो नाम से ग्राम लावर तह. महस्तुरी में राईस मिल है जिसमें केवल उसना चावल का काम होता है। वर्ष 2014-15 में 72 हजार क्विंटल धान का अनुबंध हुआ है जिसमें से मैं अभी तक 21,100 क्विंटल चावल नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम में जमा कर चुका हूँ। बिलासपुर में नान के 03 गोदाम हैं जिनमें से स्पेश की समस्या नहीं है। बिलासपुर में चावल अनलोडिंग एवं स्टेकिंग के लिये हमालों को 3400रु. प्रति लॉट की दर से उनके मुखिया को भुगतान करता हूँ। यही मेरा कथन है।

दिनांक 08.04.2015




(एस0डी0 देवस्थले)

निरीक्षक

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़